कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/ 14335/1026 दिनांक:– 14.03.13

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत दलसिंहसराय के वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 360/12–13 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

लेखा परीक्षा अधिकारी 14/3/13
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर–1
बिहार, पटना

नगर पंचायत दलसिंह सराय
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–360/12–13
(अवधि– 2009–10 से 2011–12 तक

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत दलसिंह सराय के लेखाओं की नमूना जॉच वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2011–12 की अवधि हेतु कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा बिहार, पटना के लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 08.09.12 से 15. 09.12 की अवधि के मध्य की गई।

2. प्रशासन

अध्यक्ष	कार्यकाल
श्री सुशील कुमार सुरेका	01.04.09 से 06.10.2009
कार्यपालक पदाधिकारी	
श्री राहुल बर्मन (B.D.O दलसिंह सराय)	01.04.10 से 31.03.2012
श्री श्याम किशोर (S.D.O दलसिंह सराय)	06.10.09 से 06.01.2010(पूर्वा0)
श्री अनिल कुमार आर्य (C.O विद्यापति नगर)	06.01.10(अप0) से 08.04. 2010(पूर्वा0)
श्री सत्येन्द्र कु0 सिंह (DCLR दलसिंह सराय)	08.04.(अप0) से 31.03.2012

3. लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखा परीक्षा की अवधि में जो अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराये गये तथा जिनकी नमूना जॉच की गयी, की सूची प्रतिवदेन के परिशिष्ट-I में तथा वैसे अभिलेख जो या तो संधारित नहीं किए गये थे या जो उपलब्ध नहीं कराये गये की सूची परिशिष्ट–II में दी गई है।

3(क) पूर्ववर्त्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

नगर पंचायत को निर्गत पूर्ववर्त्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लंबित कंडिकाओं के अनुपालन की स्थिति संतोषजनक नही थी। उपलब्ध कराये गये लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लंबित कंडिकाओं की स्थिति निम्नलिखित थी

64)

कम संख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	लेखा परीक्षा अवधि	कुल कंडिका	लंबित कंडिका
1	643/2005–06	उपलब्ध नहीं	24	24
2	713/2009–10	2005.–06 से 08–09	24	24
3	अन्य पूर्ववर्त्ती प्रतिवेदन अनुपलब्ध			

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सन्निहित कंडिकाओं का अनुपालन नगरपंचायत द्वारा नहीं किया गया था। अनुपालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की दशा में लेखा परीक्षा के उद्देश्य की पूर्ति नही होती हैं। अतः नगर पंचायत दलसिंह सराय के कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को प्रेषित करें।

4. बजट प्राक्कलन

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82(5) के प्रावधान के अनुसार मुख्य पार्षद प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात शीध्र बजट प्राक्कलन नगर पंचायत के समक्ष रखेगा। पुनः धारा 84 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार किया जाएगा तथा इसे स्थानीय निकायों के निदेशक/ विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।

लेखा परीक्षा अवधि में नगर पंचायत के बजट प्राक्कलन की स्थिति निम्नलिखित थीः–

कम सं0	विवरण	2009–10	2010–11	2011–12
1	आय (प्राक्कलित)	3584.02	3591.56	3785.77
2	आय (वास्तविक)	67.82	68.31	157.72
3	अंतर का प्रतिशत	98.10	98.09	95.83
4	व्यय(प्राक्कलित)	3591.99	3586.72	3788.17
5	व्यय(वास्तविक)	26.30	33.85	78.33
6	अंतर का प्रतिशत	99.26	99.05	97.93
7	नगर पंचायत द्वारा अनुमोदन/विभाग को प्रेषित करने का संदर्भ	दिनांक 09.03.2011 को बैठक में अनुमोदित प्रेषण का संदर्भ नहीं	न0 प0 द्वारा दिनांक 9.12.10 को अनुमोदित एंव पत्रांक 113 दिनांक 23.02.11 द्वारा विभाग को प्रेषित	दिनांक 04.01.10 बैठक में अनुमोदित प्रेषण का संदर्भ नहीं

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि बजट प्राक्कलन वास्तविकता से भिन्न था। वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2011–12 का बजट प्राक्कलन विभाग को भेजे जाने का संदर्भ अंकित नहीं था। इसके अतिरिक्त विहित समय में बजट प्राक्कलन का संकलन एवं अनुमोदन नगर पंचायत द्वारा नहीं किया गया। भविष्य में बजट वास्तविकता के आधार बनाये जाये एवं ससमय अनुमोदित कर विभाग को प्रेषित करें।

5(क) वित्तीय अधिदृश्य

नगर पंचायत द्वारा मासिक,त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखे का संधारण नहीं किया गया था फलस्वरूप विभिन्न शीर्षवार आय–व्यय की स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा के कम में रोकड़बही में दर्ज आय–व्यय के अनुसार स्थिति निम्नलिखित थीः–

कम संख्या	शीर्ष / विवरणी	2009–10	2010–11	2011–12
1(a)	प्रारंभिक शेष (पूर्व लेखा परीक्षा प्रति0 के अनु)	14723310.00	18875929.00	22321630.00
2	प्राप्ति			
(a)	सरकारी अनुदान (विभाग से जिला से)	5336491.00	5471720.00	13187557.00
(b)	आंतरिक स्रोत (कर, सैरात सूद आदि)	1006786.00	979002.00	2000555.00
(c)	विविध	438988.00	380283.00	584074.00
3	कुल प्राप्ति (a+b+C)	6782265.00	6831005.00	15772186.00
4	व्यय			
(a)	योजना (शिक्षक के वेतन जिला से प्राप्त राशि का व्यय आदि)	929908.00	530361.00	5365647.00
(b)	स्थापना	1695676.00	2854145.00	2461866.00
(c)	विविध	4062.00	798.00	5604.00
5	कुल व्यय	2629646.00	3385304.00	7833117.00
6	अन्तशेष (1+3)–5)	18875929.00	22321630.00	30260699.00

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि नगर पंचायत के आंतरिक स्रोत से प्राप्ति स्थापना व्यय की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं था।

रोकड़बही संधारण में त्रुटियॉ

(1) रोकड़बही में आय–व्यय का मासिक, वार्षिक योग नहीं किया गया था।

(2) भुगतान हेतु प्रमाणक संख्या अंकित नही की गयी थी।

62)

(3) रोकड़बही के नमुना जॉच से ज्ञात हुआ कि रोकड़बही में आय एवं व्यय तिथि का इंदराज बैंक/ कोषागार में राशि का जमा/ निकासी तिथि के अनुसार किया गया था जबकि नियमानुसार, रोकड़बही में आय–व्यय की तिथि क्रमशः जमा चालान की तिथि एवं चेक की तिथि के अनुसार किया जाना था।

(4) रोकड़बही में, पेंशन निधि में जमा की जाने वाली राशि को व्यय शीर्ष मे दर्शाने के अतिरिक्त पुनः आय शीर्ष में दर्ज किया जाता है। जिसके फलस्वरूप आय–पक्ष अधिक दिखाया जाता है।

(5) दिनांक 01.04.2009 को रोकड़बही के अनुसार अवशेष ₹15841676.26 था जबकि पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार ₹14723310.00 थी इस प्रकार अन्तर राशि ₹1118366.26 थी जिसका कारण दर्ज नहीं था।

उर्पयुक्त त्रुटियों/का निराकरण अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

(ख) अन्तिम अवशेष

दिनांक 31.03.2012 को रोकड़बही का अंतशेष एवं विभिन्न खातों के शेष के अंतर की सामाधान विवरणी तैयार नही थी।

(1) अधिदृश्य के अनुसार अंतशेष (31.03.2012) 30260699.00

(2) रोकड़ बही में दर्ज विभिन्न बैंक खातों का दिनांक 31.03.2012 का शेष

I.	P/L	कोषागार पासबुक	16890583.24
II.	SBI	A/c 997	878.15
III.	SBI	A/c24008	1121264.97
IV.	SBI	A/c 004	5548862.79
V.	SBI	A/c 939	941720.49
VI.	SBI	A/c893	631779.47
VII.	SBI	A/c 3816	55968.00
VIII.	Bank of Baroda	A/c 425	5743792.00
IX.	Post office Dalsingh Sarai	A/c 32	397167.00
X.	Post office Dalsingh Sarai	A/c 693	6000.00
XI.	Post office Dalsingh Sarai	A/c 689	50
XII.	Post office Dalsingh Sarai	A/c 697	10550.00

XIII.	Post office Dalsingh Sarai	A/c 698	1550.00
XIV.	Post office Dalsingh Sarai	A/c 691	50.00
XV.	Post office Dalsingh Sarai	A/c 702	50.00
XVI.	Post office Dalsingh Sarai	A/c 700	1550.00
XVII.	Post office Dalsingh Sarai	A/c 701	50.00
XVIII.	Post office Dalsingh Sarai	A/c 699	50.00
XIX.	Post office Dalsingh Sarai	A/c 696	9050.00
XX.	Post office Dalsingh Sarai	A/c 692	9000.00
XXI.	Post office Dalsingh Sarai	A/c 690	50.00
XXII.	Post office Dalsingh Sarai	A/c 694	50.00
XXIII.	Post office Dalsingh Sarai	A/c 695	9000.00
			31379066.11

अन्तर ₹1118367.11 (31379066.11–30260699) का समाधान विवरणी तैयार कर अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।

6. सरकारी अनुदान की स्थिति

नगर पंचायत द्वारा विहित प्रपत्र में सरकारी अनुदानपंजी का संधारण नहीं किया गया था फलस्वरूप दिनांक 01.04.2009 को अनुदानवार अव्यहृत राशि लेखा परीक्षा में शीर्षवार प्राप्त अनुदान एवं वर्ष के अंत में अंतशेष की स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी।

रोकड़ बही एवं आवंटन पंजी के अनुसार लेखापरीक्षा अवधि में नगर पंचायत को निम्नलिखित अनुदान प्राप्त हुए

2009–10

कम सं0	प्राप्ति तिथि	राशि	प्राप्ति संदर्भ
1	30.07.2009	30657.00	जिला पशुपालन पदा0 पत्रांक 747 दिनांक 06.06.2009 पशु गणना हेतु
2	29.07.2009	131828.00	जिला परिषद के ज्ञापांक 72 दिनांक 19.06.09 BRGF मद में 2007–08 की शेष राशि
3	–वही–	754546.00	–वही–ज्ञापांक 50 दिनांक 03.07.09 वर्ष 2008–09 हेतु

60)

			BRGF मद
4	15.02.2010	998000.00	–वही– ज्ञापांक 630 दिनांक 16.01.2010 द्वारा BRGF मद में प्राप्त राशि
5	16.03.2010	93406.00	नगर वि0 एवं आ0 वि0 के पत्रांक 4, दिनांक 03.02.2010 द्वारा अल्प लागत स्वच्छता कार्यक्रम शुष्क शौचालय का जलवाही शैचालय में परिवर्तन
6	30.03.2010	1021000.00	UD&HD के पत्रांक 26 दिनांक 16.03.10 द्वारा वर्ष 09–10 की मैचिंग ग्राण्ट
7	31.03.2010	67200.00	–वही– पत्रांक 30 दिनांक 19.03.10 पार्षद का भत्ता
8	–वही–	1476568.00	–वही– पत्रांक 27 दिनांक 17.03.10 XIIth वित्त आयोग (08–09) की बकाया राशि
9	–वही–	381643.00	–वही– पत्रांक 28 दिनांक 17.03.10 XIIthFC2009–10 की राशि
10	–वही–	381643.00	–वही– पत्रांक 41 दिनांक 25.03.10 XIIthFC2009–10 की राशि
		5336491.00	

2010–2011

क्रम सं0	प्राप्ति तिथि	राशि	प्राप्ति संदर्भ
1	06.05.2010	18681.00	UD&HD, पटना के पत्रांक 05 दिनांक 03.02.2010 द्वारा ILCS अन्तर्गत अनुदान आवंटन
2	–वही–	56044.00	–वही– पत्रांक 31, दिनांक 23.02.10 द्वारा ILCS योजनान्र्तगत अनुदान आवंटन
3	01.07.2010	67200.00	निर्देशक न0 वि0 एवं आ0 वि0 के पत्रांक 69 दिनांक 26.04.10 द्वारा पार्षदों के भत्ता हेतु प्राप्त
4	21.08.10	312105.00	जि0 परि0 द्वारा चेक सं0 005810 दिनांक 30.04.10 द्वारा BRGF के मद में प्राप्त
5	30.11.10	2985.00	अनुमंडल पदा0 द्वारा राशन कार्ड तैयार करने हेतु चेक सं0

			964627 दिनांक 03.08.10 द्वारा
6	21.12.10	800000.00	UD&HD विशेष सचिव के पत्रांक 95 दिनांक17.08.10 द्वारा XIII thFC मद में 2010–11
7	24.12.10	518900.00	DDC Cum CEO, Z.P, समस्तीपुर के पत्रांक चेक सं0 002108 दिनांक 19.11.10
8	15.01.2011	333225.00	40% वेतन मद में अनुदान राशि पत्रांक 119 दिनांक 04.10.10 द्वारा न0 वि0 एवं आ0 वि0
9	17.01.2011	92400.00	DM, समस्तीपुर के पत्रांक 373 दिनांक 10.12.10 द्वारा जनगणना हेतु
10	–वही–	41250.00	–वही–
11	28.01.2011	140000.00	UD&HD के पत्रांक 6243 दिनांक 03.11.10 द्वारा नगर प्रबंधक के मानदेय हेतु
12	11.02.2011	250000.00	DM, समस्तीपुर के पत्रांक 20 दिनांक 08.01.11 द्वारा कबीर अन्त्येष्टि अनुदान
13	12.03.2011	17600.00	जिला जनगणना पदा0 के ज्ञापांक 141 दिनांक 25.02.11 द्वारा जनगणना मानदेय
14	–वही–	70330.00	–वही–ज्ञापांक, 141 दिनांक 25.02.2011
15	28.03.2011	13000.00	DM के पत्रांक 275 दिनांक 03.08.10 द्वारा जनगणना हेतु आकस्मिक व्यय का आवंटन
16	31.03.2011	2738000.00	न0 वि0 एवं0 आ0 वि0 के पत्रांक 166 दिनांक 26.03.2011 द्वारा 3rd राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा में मैचिंग ग्राण्ट 2010–11
		5471720.00	

58)

2011–12

क्रम सं0	प्राप्ति तिथि	राशि	प्राप्ति संदर्भ
1	20.04.2011	3975.00	DM के पत्रां 295 दिनांक 25.08.10 द्वारा जनगणना हेतु
2	02.06.2011	2237.00	न0 वि0 एवं आ0 विभाग के पत्रांक 187 दिनांक 30.03.2011 द्वारा XIIIth FC की प्रथम किस्त की व्याज राशि
3	02.06.2011	800000.00	न0 वि0 एवं आ0 वि0 पटना के पत्रांक 186 दिनांक 30.03.2011 द्वारा 13 वीं वित्त 2010–11 की द्वितीय किस्त
4	19.07.2011	100000.00	–वही– पत्रांक 3704 दिनांक 30.06.11 द्वारा नगर प्रबंधक का मानदेय
5	10.09.2011	791205.00	DDC समस्तीपुर के ज्ञापांक 30 दिनांक 24.04.2011 द्वारा BRGF मद में राशि
6	23.01.2011	900000.00	न0 वि0 एवं आ0 वि0 के पत्रांक 21 दिनांक 04.0811 द्वारा 13th FC मद में
7	–वही–	45000.00	–वही– पत्रांक 24 दिनांक 23.08.11
8	10.12.2011	970000.00	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पत्रांक 1521 दिनांक 17.10.2011 द्वारा नगर शिक्षक के मानदेय हेतु प्राप्त अनुदान
9	11.01.2012	21000.00	DM के पत्रांक 853 दिनांक 10.11.11 द्वारा कबीर अंत्येष्टि मद में प्राप्त
10	03.02.2012	441000.00	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पत्रांक 2665 दिनांक 31.12.2011 द्वारा नगर शिक्षक के वेतन मद
11	29.02.2012	67200.00	संयुक्त सचिव न0 वि0 एवं आ0 वि0 के पत्रांक 44 दिनांक 25.01.2012 द्वारा पार्षद भत्ता
12	01.03.2012	752765.00	DDC Cum CEO ,Z.P, द्वारा चेक सं0 001295 दिनांक 17.02. 2012 द्वारा प्राप्त BRGF
13	15.03.2012	277870.00	DM, समस्तीपुर के पत्रांक 14 दिनांक 01.03.12 द्वारा जनगणना मानेदय आवंटन
14	26.03.2012	1250072.00	उप निबंधक, निबंधन विभाग बिहार के पत्रांक 3402दिनांक 14.11.11 Stamp Duty

15	30.03.2012	957000.00	न0 वि0 एवं आ0 वि0 के पत्रांक 58 दिनांक 13.03.2012 द्वारा 13 वीं वित्त आयोग मद
16	–वही–	2000000.00	–वही– पत्रांक 61 दिनांक 19.03.12 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से
17	–वही–	2192670.00	–वही– ज्ञापांक 60 दिनांक 19.03.12 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद में प्राप्त
18	–वही–	1600563.00	–वही– ज्ञापांक 60 दिनांक 19.03.12 द्वारा स्वीकृत अनुदान IV th SFC.
19	31.03.2012	10000.00	DM समस्तीपुर के स्वीकृत्यादेश
20	–वही–	5000.00	ज्ञापांक 929 दिनांक 24.11.2011 द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रशासनिक व्यय
		13187557.00	सा0 सुरक्षा प्रशासनिक व्यय मद में प्राप्त

ABSTRACT

कम सं0	अनुदान शीर्ष	2009–10	2010–11	2011–12
(i)	जनगणना/पशुगणना	30657.00	237565.00	281845.00
(ii)	BRGF	1884374.00	831005.00	1543970.00
(iii)	शुष्क शौचालय का जलवादी में परिवर्त्तन	93406.00	74725.00	
(iv)	मैचिंग ग्राण्ट	1021000.00	2738000.00	
(v)	पाषदों का भत्ता/नगर प्रबंधक का भत्ता	67200.00	67200.00	167200.00
(vi)	XIIth वित्त आयोग	2239854.00	140000.00	
(vii)	XIIIth वित्त आयोग	–––	800000.00	2704237.00
(viii)	कबीर अंत्येष्टि	–––	250000.00	36000.00
(ix)	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	–––	–––	5793233.00
(x)	अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	––––	––––	1250072.00
(xi)	जिला कार्यकम पदा0 से	––––	–––	970000.00

56

	नगर शिक्षक के मानदेय हेतु			441000.00
(xii)	40% वेतन अनुदान	----	333225.00	----
		5336491.00	5471720.00	13187557.00

अनुदान पंजी का विहित प्रपत्र में संधारण कर अगले लेखा परीक्षा में दिखया जाय।

7. अप्रयुक्त अनुदान की राशि ₹101.32 लाख

अनुदान संस्वीकृति पत्र में निहित शर्तो के अनुसार, अनुदान की राशि का उपयोग विहित समय सीमा में किया जाना था तथा तदनुरूप उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित विभाग को समर्पित किया जाना थां

सहायक रोकड़बहियों के नमूना जॉच से ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित विशिष्ट प्रयोजनों हेतु प्राप्त अनुदान में राशि नगर पंचायत खाते में अप्रयुक्त थी:–

कम संख्या	शीर्ष/प्रयोजन	राशि	अभ्युक्ति
1	सफाई उपकरणों के क्रय हेतु	66001.00	2008–09 एवं पूर्व से अप्रयुक्त
2	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	786030.00	–वही–
3	द्वादश वित्त आयोग	403541.00	दिनांक 31.03.12 से
4	आई0 डी0 एस0 एम0 टी0	4913546.00	वर्ष 2008 –09 एवं पूर्व से
5	एन0 एस0 डी0 पी0	460619.00	–वही–
6	आर्थिक गणना मद	1161.00	–वही–
7	पशुगणना आकस्मिकता मद	4000.00	–वही–
8	चापाकल सड़क धाटों का निर्माण /जिर्णोद्धार	3497726.00	–वही–
		10132624.00	

उपर्युक्त अनुपयोगिता अनुदानों को यथाशीध्र उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्वीकृति प्राधिकार को समर्पित किया जाए।

8. 13 वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि का अनियमित व्यय –₹4.65 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 13 वे वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में निर्गत आवंटन संस्वीकृति पत्र के अनुसार राशि का व्यय निम्नवत किया जाना था

(i) कम से कम 50 प्रतिशत राशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

(ii) पाईप जलापूर्त्ति व्यवस्था, रख–रखाव सहित

(iii) सड़कों में प्रकाश व्यवस्था तथा पेय जल पर उपयोग किए बिजली के बिल के भुगतान

(iv) रैन बसेरा/ओल्ड एज होम (Old age home) का निर्माण एवं रख रखाव।

नगर पंचायत को वर्ष 2011–12 के 13 वे वित्त आयोग मद में कुल ₹3504237.00 प्राप्त हुए थे एवं सहायक रोकड पंजी के अनुसार निम्नलिखित उददेश्यों में राशि व्यय की गई थी:–

कम सं0	तिथि	चेक सं0	राशि	सर्वश्री (उददेश्य)
1	11.03.11	114360	50000.00	राम सुदिष्ट चौधरी चापाकल मरम्मति हेतु
2	13.07.2011	381	465000.00	कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को केन्द्र प्रायोजित त्वरित शहरी जलापूर्त्ति योजनान्तर्गत अंशदान
3	22.07.2011	382	62407.00	प्रेम राम, सफाई अभिकर्त्ता माह 6/11
4	20.08.11	386	62407.00	–वही– माह 7/11
5	07.09.11	391	60394.00	–वही– माह 8/11
6	13.12.11	506&07	740466.00	प्रभु दयाल, डस्टबीन क्रय हेतु
7	19.12.11	508	61007.00	प्रेम राम, सफाई अभिकर्त्ता 11/11
8	20.01.12	513	67007.00	–वही– 12/11
9	15.02.12	520	61007	–वही–1/12
10	02.03.12	523	65507.00	–वही–2/12
			1695202.00	

दिनांक 31.03.12 को शेष ₹1809035.00(3504237–1695202)

नगर पंचायत द्वारा (पत्रांक 547 दिनांक 26.07.12) विभाग को समर्पित उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार व्यय की स्थिति निम्नलिखित थी

क्रम सं0	विवरणी (शीर्ष)		राशि	व्यय
1	ठोस अवशिष्ट प्रबंधन (50%)		1752118.00	1180000.00
2	पाईप जलापूर्ति व्यवस्था, रखरखाव	50%	1752119.00	515000.00
3	सड़कों में प्रकाश व्यवस्था तथा पेय जल पर उपयोग किए बिजली बिल का भुगतान			
4	रैन बसेरा/old Age home का निर्माण एवं रखरखाव			
	कुल		3504237.00	1695000.00

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति

(1) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 220 के अनुसार अपशिष्टो के संग्रहण भंडारण, परिवहन प्रसंस्करण और निपटाव आदि सम्मिलित है परन्तु नगर पंचायत द्वारा वार्डो की सफाई में (सीमित कार्य) उक्त अनुदान का व्यय किया गया।

(2) पाईप जलापूर्ति व्यवस्था रखरखाव सहित उपशीर्ष के अन्तर्गत नगर पंचायत द्वारा ₹4.65 लाख का भुगतान कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल समस्तीपुर को केंद्र प्रायोजित त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत पाइप जलापूर्ति योजनाओं के लिए लागत राशि का 5% अंश के रूप में किया गया।जबकि सरकार के उपसचिव नगर विकास विभाग पटना के पत्रांक 04/03/9350/ पटना दिनांक 03.07.04 के निर्देशानुसार त्वरित शहरी जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित स्थानीय निकाय को लागत राशि का 5% अपने संसाधन या लाभार्थियो के अंशदान से उपलब्ध कराया जाना था। इस प्रकार तेरहवी वित्त की राशि से किया गया भुगतान अनियमित था जिसे आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता हैं

9.ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत पी0 वी0 सी0 हैण्डट्राली एवं पी0 वी0 सी0 कूड़ादान का एकमुश्त क्रय नहीं कर अलग–अलग क्रय किया जाना

सफाई उपकरणों के क्रय सबंधी संचिका के नमूना जॉच से ज्ञात हुआ कि उपयुक्त सामग्री का नगर पंचायत द्वारा टुकड़ों में क्रय किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है:–

क्रम सं0	क्रय किये गये सामग्री का नाम दर		फर्म का नाम	आपूर्त्ति आदेश एवं भुगतान का संदर्भ
1	(i) PVC Road side bins with metallic stand 150 Lt (double) @16875-00 (ii) PVC Hand Trolley	30PC 16PC	M/S प्रभुदयाल ओम प्रकाश होज काजी	पत्रांक 293 दिनांक 31.05.2011 BD Nos. 460595 & 460596 ₹633248.000

	250Lt- @ 10125.00		दिल्ली	
2	(i) PVC Road side bins 150 Lt (double) @16875%	42PC	–वही–	पत्रांक 468 दिनांक 09.09.2011 Ch.A 114506 ₹673312.00 Ch.A 114507 ₹68851.00
				742163.00

लेखा परीक्षा अभ्युक्ति

(1)उपर्युक्त सामग्रियों के कय हेतु मात्र कम सं0 1पर वर्णित सामग्रियों के लिए नगर पंचायत के पत्रांक 182 दिनांक 24.03.11 द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी एवं तत्पश्चात तीन फर्मो द्वारा निविदा डाला गया। प्राप्त निविदाओं के तुलनात्मक विवरणी के आधार पर मे0 प्रभुदयाल, ओमप्रकाश शीतलग्रुप, नई दिल्ली को न्यूनतम दर हाने के कारण आपूर्त्ति आदेश दिया गया। पनु: नगर पंचायत की सामान्य बैठक दिनांक 29.09.2011 में लिए गए निर्णय के आलोक में 42 अदद कूड़ेदान (प्रति वार्ड तीन) आपूर्त्ति करने का आदेश पूर्व में अनुमोदित/स्वीकृत दर के आधार पर मे0 प्रभुदयाल को दिया गया। इस प्रकार लगभग तीन माह के अन्तराल पर पुनः सामगी का क्रय किया गया। क्रय किये गये सामग्रियों का एकमुश्त आकलन कर निविदा आमंत्रित नहीं किये जाने के फलस्वरूप नगर पंचायत न्यूनतम एवं प्रतिस्पर्धात्मक दर से वंचित रहा। अतः नगर पंचायत को सलाह दी जाती है कि भविष्य में इसका ख्याल रखा जाएं

10 योजना में अनियमितता

योजना सं0 08/2010–11

योजना का नाम वार्ड सं0 6 में श्री कन्हैया केडिया के घर से सरस्वती शिशु मंदिर होते हुए मुस्लिम टोला तक पथ में पी0 सी0 सी0 एवं नाली निर्माण

प्राक्कलित राशि ₹390059.00 (i/e sign Bd. ₹3000 Contg 1% quality contl/2% centage charge 4% equals to 23180.00)

मापीपुस्त की राशि प्रथम मापी 02.03.2012 ₹342368.00

द्वितीय एवं अंतिम 22.04.2012 कुल 369826 (चालू)

52)

प्राक्कलन एवं मापीपुस्त के अनुसार कार्य की स्थिति निम्नलिखित थी

कम सं0	Item of work	Estimate	1^{st} मापी	द्वितीयमापी	कुल कार्य	अधिक /कम कार्य
1	Drain E/W excavation in foundation	20.85 M^3	21.66 M^3	—	21.66 M^3	(+)0.89M^3
2	PV. 100 B/F soling in foundation	68.35 M^2	47.39 M^2	—	47.39 M^2	(-) 20.96 M^2
3	Prov. PCC (1:2:4) in found	5.21 M^3	3.61 M^3	—	3.61 M^3	(-) 1.6 M^3
4	Prov. 100 B/W in CM(1:4)	19.04 M^3	9.888 M^3	—	9.88 M^3	(-) 9.152 M^3
5	Prov ½" CP in CM (1:4) with punning	146.53 M^2	101.90 M^3	—	101.90 M^2	(-) 44.63 M^2
6	Prov. RCC (1:1 ½:3) deck Slab	6.22 M^3	4.81 M^3	—	4.81 M^3	(-) 1.41 M^3
7	Prov. MS Reinforcement	438.88Kg	387.96 Kg	—	387.96 Kg	(-) 50.92Kg
8	E/W filling in Rd. from 1km lead	32.72 M^3	60.29 M^3	—	60.29 M^3	(+) 29.57 M^3
9	Prov. 100A B/F/Soling in Road	214.59 M^2	263.87 M^2	—	263.87 M^2	(+) 49.28 M^2
10	Prov. PCC(1:1½:3) in Rd expansion joint without MS Rod.	23.02 M^3	26.93 M^3	4.796 M^3	31.726 M^3	(+) 8.706 M^3

लेखा परीक्षा अभ्युक्ति

(i) अभिकर्त्ता श्री अजय कुमार को निर्गत कार्यादेश पत्रांक 49 दिनांक 21.01.2012 में कार्यावधि अंकित नही किये जाने के कारण कार्य पूर्ण किये जाने की नियत अवधि ज्ञात नहीं की जा सकी।

(ii) प्राक्कलन में विभिन्न Item of works में दर्शाये गये दर को काट कर नये दर पर गणना की गयी थी यथा

(1) E/W excav की दर 53.08/ को 121:20

(2) PCC (1:2:4) के दर 4311 को ₹ 5163

(3) RCC (1:1½:3) के दर 4499.20 को 6058.41/

(4) PCC (1:1½:3) के दर 4499.20 को ₹5725.06 जिसका कारण अंकित नहीं किया गया था।

(iii) प्राक्कलन मापीपुस्त के तुलनात्मक विवरणी से स्पष्ट है कि कम सं0 10 पर वर्णित कार्य प्राक्कलन के अनुसार प्रथम मापी में ही पूर्ण किया गया था जिसे B/F/S के मात्रा के तुल्य 04" ढलाई किया गया परन्तु द्वितीय मापी में मात्र PCC कार्य 4.796M^3 में दर्शा कर मापी पुस्त की राशि बढ़ाते हुए अनियमित रूप से भुगतान प्राप्त किया गया। अनियमित भुगतान की राशि इस प्रकार हैं–

द्वितीय मापी में PCC कार्य 4.796 M^3 अनियमित रूप से दर्ज करने के कारण 4.796 M^3 @5725.06= ₹27457.00

अनियमित भुगतान की राशि ₹27457.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

11. सैरातों की बन्दोबस्ती में अनियमिततायें:– 1.66 लाख

नगर पंचायत में वर्ष 2009–10 से 2011–12 के मध्य कुल पॉच सैरातों की बन्दोबस्ती की गयी थी। विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट–III में दिया गया है।

लेखा परीक्षा अभियुक्ति

(i) सैरातों से सम्बन्धित कोइ पंजी नगर पंचायत द्वारा संधारित नहीं की गयी थीं

(ii) साइकिल रिक्शा टिन टिकट की वित्तीय वर्ष 2009–10 की बन्दोबस्ती की शर्त्तो के अनुसार बन्दोबस्ती की राशि बन्दोबस्तधारी द्वारा ससमय जमा नहीं करने के कारण पत्रांक 291/24.06.09 के द्वारा बन्दोबस्ती रद कर दी गयी थी। उसके उपरान्त दिनांक 14.01.10 को श्री राम खेलावन राय को एकरारनामा कर 31.03.10 तक वसूली का अधिकार दिया गया। एकरारनामें के अनुसार प्रतिदिन @ ₹650 की दर से श्री राय को वसूली के एवज में नगर पंचायत कोष में जमा करना था। इस प्रकार कुल 76 दिनों के लिए @ ₹650 प्रतिदिन की दर से श्री राय ने ₹49400.00 नगर पंचायत के खाते में जमा किया।

50)

इस प्रकार की व्यवस्था दिनांक 25.06.09 से 13.01.10 की अवधि हेतु नहीं किये जाने के कारण नगर पंचायत को ₹131950.00 (650X203) के राजस्व की हानि हुई। जिसकी वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय।

(iii) होर्डिंग से वसूली की बन्दोबस्ती वर्ष 2009–10 में नहीं किए जाने के कारण नगर पंचायत को न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि ₹5500 की राजस्व हानि हुई जिसकी वसूली सम्बन्धित एवं जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय। (परिशिष्ट–III)

(iv) साग सब्जी गुदरी एवं चलन्त दूकानों से वसूली की बन्दोबस्ती को कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 289/22.06.09 के द्वारा रद कर दी गयी तथा 24.06.09 को विभागीय संग्रह @₹1089.00 की दर से करने का आदेश दिया गया। 25.06.09 से 03.08.09 तक कुल ₹43560.00 का संग्रह किया गया जबकि नगर पंचायत कोष में मात्र ₹36650.00 जमा किया गया था। शेष बकाया राशि ₹6910.00 संग्रहकर्ताओं से वसूलकर नगर पंचायत कोष में जमा करें

(v) सर्वाजनिक शौचालयों से वसूली की बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 में नहीं किए जाने से नगर पंचायत को न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि ₹22000.00 की हानि हुई जिसकी वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय।

अतः कुल ₹166360.00(131950+5500+6910+22000) को संबंधित/जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाये तथा इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रेषित की जाये।

12. कम जमा/नहीं जमा ₹2.61 लाख

नगर पचांयत दलसिंहसराय के लेखाओं की जॉच में पाया गया कि कर्मचारियों द्वारा विभिन्न करों के रूप में वसूल की गई राशि ₹605466.28 में से ₹344712.00 को नगर पंचायत निधि में जमा किया गया था, जबकि₹260754.28 को नहीं जमा किया गया था। अतः उक्त राशि की वसूली संबंधित /जिम्मेदार व्यक्तियों से कर नगर पंचायत निधि में जमा की जाये तथा स्थानीय लेखा परीक्षक ,बिहार सह उपमहालेखाकार (सामाजिक प्रक्षेत्र–1) को इसकी सूचना प्रेषित की जाये। (परिशिष्ट–V)

13. भवन निर्माण शुल्क की राशि नगर पंचायत कोष में जमा नही किया जाना ₹0.94 लाख

विविध रसीदों के जॉच के क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्र में भवन निर्माणों के लिए अनुमति शुल्क 103 (एक सौ तीन) बैंक ड्राफ्ट /बैकर्स चेक के रूप में नगर पंचायत में जमा की गयी थी। जिनकी तिथियॉ फरवरी 2010 से दिसम्बर 2010 तक की थी तथा कुल योग ₹93951.00 था लेकिन अंकेक्षण अवधि तक नगर पंचायत के कोष में उनका जमा नहीं हो पाया था।

लेखा परीक्षा अभियुक्तिः—

(i) डिमाण्ड ड्राफ्टों तथा बैकर्स चेकों को नगर पचांयत के खाते में जमा कराये जाने हेतु विशेष कदम उठायें जायें। नहीं जमा होने की दशा में जिम्मेवार व्यक्ति से राशि वसूल की जाए।

(ii) भवन निर्माण अनुमति सम्बन्धी संचिका लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिसे अगले लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायें।

14. नगर पंचायत द्वारा अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया था। फलस्वरूप लेखा परीक्षा अवधि में पारंभिक अवशेष की राशि ज्ञात नहीं की जा सकी। रोकड़बही के अनुसार लेखा परीक्षा अवधि में निम्नलिखित अग्रिम दी गयीः—

कम सं0	तिथि	प्रमाणक सं0	राशि	सर्वश्री विवरण
1	29.09.09	उपलब्ध/दर्ज नहीं	60000.00	रामसुदिष्ट चौधरी H.A. दैनिक पारिश्रमिक भुगतान हेतु अग्रिम
2	30.12.09	—वही—	147292.00	—वही
3	—वही—	—वही—	9000.00	—वही—कार्यालय व्यय हेतु
4	23.02.10	—वही—	125152.00	—वही—दैनिक पारिश्रमिक भुगतान हेतु अग्रिम
5	20.03.10	—वही—	472875.00	श्री विजय कुमार, योजना सं01/2007—08 को अग्रिम
6	30.03.10	—वही—	25000.00	राम सुदिष्ट चौधरी प्र0 स0 को कार्यालय आकस्मिक व्यय
7	—वही—	—वही—	300000.00	विजय कुमार क0 अभि0 को प्रशासनिक भवन हेतु अग्रिम
8	06.05.2010	—वही—	93406.00	जागृति सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन ILCS योजनान्तर्गत
9	30.06.2010	—वही—	30657.00	शिशिर कुमार अनु0 सहायक को पशुगणना हेतु अग्रिम
10	27.08.2010	—वही—	74725.00	जागृति सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन, को ILCS अंतर्गत अस्थायी अग्रिम
11	31.08.10	—वही—	17349.00	राम सुदिष्ट चौधरी,दैनिक पारि को भुगतान हेतु अग्रिम

48)

12	01.11.10	–वही–	15000.00	–वही– कार्यालय हेतु
13	17.01.11	–वही–	25000.00	–वही–
14	17.02.11	–वही–	22000.00	–वही– Insurance Road Tax हेतु
15	08.03.11	–वही–	32900.00	–वही– पार्षदों के बैठक के भत्ता एवं परिभ्रमण
16	11.03.11	–वही–	50000.00	–वही– 13 वे वित्त मद की राशि से चापाकल मरम्मतिकार्य
17	24.03.2011	कर्ज नहीं	12500.00	राम सुदिष्ट चौधरी प्र0 सहायक को बीमा कराने हेतु
18	–वही–	–वही–	5000.00	–वही– कार्यालय हेतु
19	26.05.2011	–वही–	25000.00	सुमन जी प्रसाद अनु0 सहायक को कार्यालय आकस्मिक व्यय हेतु
20	01.07.2011	–वही–	10000.00	–वही–
21	07.09.2011	–वही–	25000.00	राम सुदिष्ट चौधरी प्र0 स0 कार्यालय आकस्मिक व्यय
22	–वही–	–वही–	16500.00	–वही– कबीर अन्त्येष्टि हेतु निकासी
23	27.09.2011	–वही–	15000.00	सुमन जी प्रसाद को कार्यालय व्यय हेतु
24	11.10.11	–वही–	14450.00	राम सुदिष्ट चौ0 को कबीर अन्त्येष्टि हेतु
25	20.10.11	–वही–	15000.00	सुमन जी प्रसाद को कार्यालय व्यय हेतु
26	09.01.12	–वही–	15000.00	–वही–
27	20.01.12	–वही–	9500.00	–वही–
28	02.03.12	–वही–	9500.00	–वही–
29	30.03.12	–वही–	10500.00	–वही–
			1683306.00	

लेखा परीक्षा में उपरोक्त अग्रिमों के समायोजन को स्पष्ट नहीं किया गया। अतः अग्रिमों के समायोजन/वसुली हेतु यथाशीध्र आवश्यक कदम उठाया जाये।

15. कार्यपालक से वार्त्ता

लेखा परीक्षा के दौरान सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर समय–समय पर वर्त्तालाप किया गया ।

16. लेखा परीक्षा का परिणाम

(i) लेखा परीक्षा के दौरान वसुली गयी राशि ₹344712.00

(ii) वसूली के लिए सुझायी गयी राशि ₹454571.28

(iii) लेखा परीक्षा आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि ₹465000.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–VI पर)

17. अभियुक्ति

नगर पंचायत के लेखाओं के रखरखाव में बहुत सुधार की आवश्यकता है। नगर पंचायत के पास अभी तक मुख्य करों के मॉग एवं वसूली पंजी संधारित नहीं है। जिससे नगर पंचायत को स्वयं भी बकाये राजस्व की जानकारी नहीं थी। अनुदान पंजी तथा अग्रिम पंजी जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख नगर पंचायत के पास संधारित नहीं थे। अनुदान की एक बड़ी राशि वर्षों से अप्रयुक्त पड़ी थी जिसके सदुपयोग के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए। मुख्यकरों के साथ सैरात के दरों की पुनरीक्षण की भी जरूरत है। नगर पंचायत में कार्य अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों द्वारा किया जा रहा था।

–हस्ता0–

संजीव नयन

(स0 ले0 प0 अ0)

–अनुमोदित–

उपमहालेखाकार(एस0 एस0–I)

–सह–

स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार

४८)

सं0 एल0 ए0/एस0 एस0–1/ श0 स्था0 नि0/ दिनांकः–

कार्यपालक पदाधिकारी,नगर पंचायत दलसिंहसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं/आपत्तियों का अनुपालन अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन महीनों के अंदर नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

"यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।"

– ह0/– –

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर–I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार ,पटना

सं0 एल0 ए0/एस0 एस0–1/ श0 स्था0 नि0/ 14395/1026 दिनांकः– 14.03.13

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

(i) प्रधान सचिव, बिहार सरकार,नगर विकास एवं आवास विभाग,पटना

(ii) जिलाधिकारी, समस्तीपुर

14/3/13

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर–I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार, पटना

नगर पंचायत, टलसिंह, सराय

परिशिष्ट - I

अभिलेखों की सूची जिन्हें लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया तथा जिनकी नमूना जाँच की गयी

1. रोकड़पाल रोकड़बही
2. लेखा पाल रोकड़ बही
3. कोषागार पासबुक (2011-12 को छोड़कर)
4. ~~बैंक पासबुक~~ आवंटन पंजी
5. भण्डार पंजी / गृह कर रसीद, विविध रसीद
6. सैरात पंजी
7. दैनिक संग्रह पंजी (आंशिक)
8. बजट
9. योजना संचिका (आंशिक)

संजीव ...
स०ले०प०अ०